राज्य अपने राज्यपालों के विरुद्ध न्यायालय में

द हिंदू

पेपर-II (भारतीय राजव्यवस्था)

गैर-भाजपा शासित राज्यों में से कुछ राज्यों ने अपने राज्यपालों पर महत्वपूर्ण विधेयकों को कानून में पारित करने में अनुचित देरी करने के लिए गैर-मौजूद विवेक का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अधर में लटके विधेयकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, लोकायुक्त और सहकारी समितियां जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

आरोप क्या हैं?

तमिलनाडु ने राज्यपाल आरएन रवि पर विधेयकों पर न तो सहमति देकर और न ही उन्हें लौटाकर, केवल खुद के पास दबाकर बैठे रहकर नागरिकों के जनादेश के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल ने खुद को एक "राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी" के रूप में स्थापित किया है, जिसने महीनों तक विधेयकों पर बैठकर "संवैधानिक गतिरोध" पैदा किया है। केरल ने अपनी अलग याचिका में कहा कि उसकी विधानसभा द्वारा पारित आठ प्रस्तावित कानून राज्यपाल के पास महीनों से नहीं बल्कि वर्षों से लंबित हैं। आठ में से तीन विधेयक दो साल से अधिक समय से राज्यपाल के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

पंजाब ने शिकायत की कि उसके सात विधेयक जून से राज्यपाल के पास अटके हुए हैं, जिससे प्रशासन के ठप होने का खतरा पैदा हो गया है।

तेलंगाना के राज्यपाल द्वारा सितंबर 2022 से लंबित विधेयकों को मंजूरी दिलवाने के लिए राज्य सरकार को अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिससे राज्य की ओर से पेश वकील दुष्यंत दवे को यह प्रस्तुत करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि विपक्षी शासित राज्यों में विधानसभाएं राज्यपालों की दया पर निर्भर हैं।

सहमति प्रदान करने की प्रक्रिया

संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल के समक्ष उन विकल्पों को शामिल करता है जब विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद के पहले प्रावधान में कहा गया है कि राज्यपाल या तो विधेयक पर अपनी सहमति की घोषणा कर सकते हैं या यदि यह धन विधेयक नहीं है तो सहमति को रोक सकते हैं या कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि विधेयक राष्ट्रपति की शक्ति का अपमान करता है या उसे खतरे में डालता है।

यदि राज्यपाल सहमति रोकना चुनते हैं, तो उन्हें विधेयक को "जितनी जल्दी हो सके" एक संदेश के साथ वापस करना चाहिए जिसमें विधान सभा को प्रस्तावित कानून या किसी निर्दिष्ट प्रावधान पर पुनर्विचार करने या संशोधन का सुझाव देने का अनुरोध करना चाहिए। विधानसभा विधेयक पर पुनर्विचार करेगी और पारित करेगी और इस बार राज्यपाल को अपनी सहमति नहीं रोकनी चाहिए। संक्षेप में, राज्य का संवैधानिक प्रमुख जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के सुविचारित निर्णय के आगे झुकेगा।

क्या राज्यपालों के पास विवेक है?

राज्यपालों के पास अनुच्छेद 175 (अब अनुच्छेद 200) के मसौदे के पहले प्रावधान से पहले विधेयकों को वापस करने का विवेकाधिकार था। इसे 1949 में संविधान सभा द्वारा संशोधित किया गया था। हालांकि यह सोचा गया था कि राज्यपाल के विवेक का प्रयोग राज्यों द्वारा "विघटनकारी विधायी प्रवृत्तियों पर संभावित जांच" के रूप में कार्य करेगा, डॉ. बीआर अंबेडकर ने संशोधित प्रावधान पेश करते हुए कहा, "जिम्मेदार सरकार में राज्यपाल के विवेक पर काम करने के लिए कोई जगह नहीं हो सकती।"

मद्रास से संविधान सभा के सदस्य और बाद में वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी ने संशोधन को मंजूरी देते हुए कहा, "राज्यपाल अपने दम पर कार्य नहीं कर सकते, वह केवल मंत्रालय की सलाह पर कार्य कर सकते हैं... जब कोई राज्यपाल किसी विधेयक को आगे विचार के लिए वापस भेजता है , वह ऐसा स्पष्ट रूप से अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है"। श्री कृष्णमाचारी ने बताया कि यदि विधान सभा द्वारा पारित विधेयक में संशोधन की आवश्यकता है या उस पर प्रतिकूल जनमत प्राप्त हुआ है, तो सरकार विधेयक को फिर से कानून बनाने के लिए यथाशीघ्र निचले सदन में वापस करने के लिए राज्यपाल का उपयोग करती है। अनुच्छेद 200 का पहला प्रावधान इस प्रकार एक "बचत खंड" है और विधेयक के भाग्य पर विवेक पूरी तरह से राज्य मंत्रिमंडल के हाथों में रहता है।

अनुच्छेद 163 यह स्पष्ट करता है कि राज्यपाल से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। शमशेर सिंह मामले के फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा है कि राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में "राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर संविधान द्वारा या उसके तहत प्रदत्त अपनी सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करता है, सिवाय उन क्षेत्रों के जहां संविधान के तहत या उसके तहत राज्यपाल को अपने कार्यों का प्रयोग अपने विवेक से करना आवश्यक है।" विधेयक की सहमति या वापसी में राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्तियों का विवेक शामिल नहीं है।

कब तक लौटाए जाने चाहिए बिल?

अनुच्छेद 200 का पहला प्रावधान कहता है कि इसे "यथाशीघ्र" होना चाहिए। इस वाक्यांश का वास्तव में क्या अर्थ है, इस पर संविधान मौन है। सुप्रीम कोर्ट ने 1972 में दुर्गा पद घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में अपने फैसले में प्रावधान में "जितनी जल्दी हो सके" की व्याख्या "परिहार्य देरी के बिना जितनी जल्दी हो सके" के रूप में की है। न्यायमूर्ति (अब सेवानिवृत्त) रोहिंटन एफ. नरीमन ने कीशम मेघा चंद्र सिंह मामले में अपने 2020 के फैसले में कहा कि 'उचित समय' का मतलब तीन महीने होगा।

राज्यों ने अदालत से प्रावधान में वाक्यांश की व्याख्या करने और एक समय सीमा तय करने का आग्रह किया है जिसके द्वारा राज्यपालों को एक विधेयक पर सहमति देनी चाहिए या वापस करना चाहिए। केंद्र-राज्य संबंधों पर 1988 की सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में विधेयक का मसौदा तैयार करते समय और इसके निपटान के लिए समय सीमा तय करते समय राज्यपाल के साथ परामर्श करने का सुझाव दिया गया था।

केरल ने सुप्रीम कोर्ट से 1962 के पुरूषोत्तम नंबूदिरी बनाम केरल राज्य मामले में पांच जजों की बेंच के फैसले की समीक्षा के लिए सात जजों की बेंच बनाने के लिए कहा है, जिसमें यह माना गया था कि अनुच्छेद 200 में "उस समय सीमा का प्रावधान नहीं है जिसके भीतर राज्यपाल... उनकी सहमति के लिए उन्हें भेजे गए विधेयक पर निर्णय लेना चाहिए।" राज्य ने कहा कि, उस समय, अदालत ने राज्यपालों द्वारा अनिश्चित काल के लिए विधेयकों को रोके रखने की संभावना पर विचार नहीं किया।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : निम्नलिखित में से कौन सी विवेकाधीन शक्तियाँ किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई हैं?

1. राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना
2. मंत्रियों की नियुक्ति
3. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन हेतु नियम बनाना

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

Que. Which of the following discretionary powers have been given to the Governor of a state?

1. Sending report to the President of India for imposing President's rule
2. Appointment of ministers
3. Reserving some bills passed by the State Legislature for the consideration of the President of India
4. Making rules for the functioning of the state government.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 2 Only

(b) 1 and 3 Only

(c) 2, 3 and 4 Only

(d) 1, 2, 3 amd 4

उत्तर : b

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : भारतीय संविधान में वर्णित राज्यपाल की शक्तियों और वर्तमान में उनके द्वारा प्रयुक्त की जा रही शक्तियों में मौजूद विरोधाभास की चर्चा कीजिये।

उत्तर का दृष्टिकोण:

- उत्तर के पहले भाग में भारतीय संविधान में वर्णित राज्यपाल की शक्तियों की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में वर्तमान में राज्यपालों के द्वारा राज्यों में प्रयुक्त की जा रही शक्तियों की चर्चा कीजिए तथा इससे उत्पन्न विरोधाभासों की भी चर्चा करें।
- अंत में आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।